


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला नागौर(राज0)

<p>वादी दिनेश कुमार पुत्र रामदेव जाति अग्रवाल निवासी नावां तहसील नावां</p>	<p>बनाम</p>	<p>प्रतिवादीगण ओमप्रकाश पुत्र गोपीलाल मोर जाति अग्रवाल निवासी कुचामनसिटी</p>
<p>राजस्व वाद - दावा इस्तकरार हक, भू-विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 139 से 131 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956</p>		
<p>प्रार्थना-पत्र नम्बर 92/2020</p>		<p>RCMS No. 2020/00/99</p>
<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज</p>	
<p>9/9/2020</p>	<p>वकील वादी द्वारा यह राजस्व वाद इस्तकरार हक, भू-विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 139 से 131 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया। राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 06.10.2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर) </p> <p>6/10/2020 पत्रावली पेश हुई आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राजकार्य अवकाश से बाहर पधार हैं। अन पत्रावली दिनांक 25-11-2020 को पेश हो</p> <p>25/11/2020 पत्रावली पेश हुई आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राजकार्य अवकाश से बाहर पधार हैं। अन पत्रावली दिनांक 18/01/2021 को पेश हो</p> <p>18/01/2021 पत्रावली पेश हुई आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राजकार्य अवकाश से बाहर पधार हैं। अन पत्रावली दिनांक 05/03/2021 को पेश हो</p> <p>5/3/2021 पत्रावली पेश हुई आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राजकार्य अवकाश से बाहर पधार हैं। अन पत्रावली दिनांक 26/4/2021 को पेश हो</p>	

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तारीख में
जारी हुए



26/4/21

पत्रावली पेश हुई आज श्रामान उपखण्ड
अधिकारी राजकार्य अवरकाज से बाहर पधारें
हैं। अन पत्रावली दिनांक 11-6-2021 को पेश की

11/6/21

पत्रावली पेश कर आज श्रामान उपखण्ड
अधिकारी राजकार्य अवरकाज से बाहर पधारें
हैं। अन पत्रावली दिनांक 5/8/2021 को पेश की

5/8/2021

पत्रावली पेश हुई आज श्रामान उपखण्ड
अधिकारी राजकार्य अवरकाज से बाहर पधारें
हैं। अन पत्रावली दिनांक 05/8/2021 को पेश की

5/8/2021

वकील वारी 349 अधिकारी राज की समीक्षा हेतु समान
सामान्य प्रकृति वारी पत्रावली दिनांक 24/8/2021 को
पेश की

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागर)

3/9/2021

वकील वारी एवं कमी उपयुक्त प्रमाण व प्रस्ताव
कारने प्र पत्रावली आज मध्य पर ली गयी किन्तु
जापत्र किया है कि लोक इकायत की आवका के
प्रैरित होकर का इकायत वरी प्रमाण जापत्र
करा का जापत्र मिडोल खासिग प्रमाण जापत्र
प्र. पत्र स्वीकार किया जा रहा है काद जापत्र
विडोले खासिग किया जा रहा है पत्रावली
केवल प्रमाण होकर मध्य के केवल जापत्र
पेश की

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागर)